सं0 38-2/2001-जी.I (भाग I)

भारत सरकार

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-1

दिनांक 04.02.2010

सेवा में

....

....

....

विषय : दूरसंचार विभाग (मुख्यालय), संचार भवन के पुराने समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं/पुराने रिकॉर्डों एवं रद्दी कागजों इत्यादि की बिक्री के लिए मोहरबंद निविदाओं/कोटेशनों को आमंत्रित करना।

दूरसंचार विभाग (मुख्यालय), संचार भवन के पुराने समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं/रद्दी कागजों/फटे-पुराने रिकॉर्डों तथा कबाड़ों इत्यादि की बिक्री के लिए निम्नलिखित शर्तों पर मोहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। अनुमत दरें ठेके की पूरी अवधि के दौरान लागू रहेंगी :

1. कोटेशन को "अवर सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, कमरा सं0 511, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली 11001" के पते पर भेजें तथा लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में "पुराने समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं/रद्दी कागजों/फटे-पुराने रिकॉर्डों एवं कबाड़ों इत्यादि की बिक्री के लिए कोटेशन" लिखा होना चाहिए और कोटेशन दिनांक 3|3|2010 के 3 बजे अपराह्न तक पहुंच जाना चाहिए। कोटेशन निविदाकर्त्ताओं, जो उपस्थित हो सकते हैं, की उपस्थिति में उसी दिन 3.30 बजे अपराह्न को कमरा सं0 511, संचार भवन में खोले जाएंगे।

2. (i) पुराने समाचार पत्रों (ii) पुरानी पत्रिकाओं (iii) रद्दी कागजों/फटे-पुराने रिकॉर्डों (iv)कबाड़ इत्यादि के लिए दरें प्रति क्विंटल की हिसाब से अलग उद्धरित की जाए।

3. **बयाना :** कोटेशन के साथ "वेतन एवं लेखा अधिकारी, दूरसंचार विभाग (मुख्यालय), संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001" के पक्ष में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी 5000/- रु0 का रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करें, इसके बिना किसी भी कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से किया गया भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदाकर्ता द्वारा ऑफर को स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में बयाना की राशि जब्त कर ली जाएगी। निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई बयाना की राशि ठेके को अंतिम रूप देने के बाद वापस कर दी जाएगी। जमा की गई बयाना की राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। यद्यपि निविदाकर्ताओं का अपने पिछले ठेके के संदर्भ में विभाग से बकाया देयताएं प्राप्त करनी हों, बयाना का जमा करना एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है तथा बयाना के प्राप्त नहीं होने पर ऑफर को अवैध समझा जाएगा।

4. **प्रतिभूति जमा :** सफल निविदाकर्त्ताओं को ठेका दिए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर प्रतिभूति जमा के रूप में 10,000/-रु0 (दस हजार रुपये केवल) रोकड़िया, दूरसंचार विभाग (मु0), संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 के पास जमा करने होंगे और ऐसा न करने पर ठेके को रद्द मान लिया जाएगा। मंत्रालय के पास निविदा में उल्लिखित किन्हीं शर्तों को पूरा करने में निविदाकर्ता के विफल होने की स्थिति में अथवा इस पत्र में उल्लिखित ठेका की किन्हीं शर्तों का ठेकेदार की ओर से उल्लंघन करने पर प्रतिभूति जमा को जब्त करने का अधिकार होगा।

5. जब कभी भी पुराने समाचार पत्र/पत्रिकाएं/रद्दी कागज आदि जमा हो जाते हैं तो ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर स्वयं थैलों और श्रमिकों की व्यवस्था करते हुए सभी कागजों को बिना छंटाई किए ले जाना होगा। संचार भवन के बाहर परिवहन की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर करनी होगी।

6. तुलाई का कार्य अवर सचिव (टी) अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में कार्यालय/धर्म कांटा में रखी गई तुला मशीन से किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा इस्तेमाल किए गए थैलों को भी कागजों के साथ ही तोला जाएगा। थैलों के वास्तविक वजन को कागजों के कुल वजन में से घटा दिया जाएगा। यह कार्यालय रद्दी कागजों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा अन्य रद्दी का किसी भी कारण से चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार के नुकसान, नष्ट, क्षति या विकृति के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

7. समाचार पत्रों/पत्रिकाओं/रद्दी कागजों और कबाड़ आदि का मूल्य, तुलाई के तत्काल बाद आपके द्वारा उद्धृत प्रति कुंतल/कि0ग्रा0 दरों के अनुसार जमा करनी होगी। आप सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना उपर्युक्त मदों के भंडार को एकत्रित करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करने में सक्षम नहीं होंगे।

8. इस निविदा की पेशकश को इनमें निर्धारित सभी शर्तों की मान्य स्वीकृति के रूप में समझा जाएगा जब तक कि निविदाकर्त्ता द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लिखित कथनों के विपरीत कुछ न कहा जाए।

9. ठेके के लागू रहने के दौरान किसी भी कारण से उद्धृत/स्वीकृत दरों में कटौती का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठेके की दरें स्थिर रहेंगी।

10. निविदाकर्ता को निविदा के खुलने की तारीख से 60 दिन तक अपनी पेशकश वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। निर्धारित अवधि से पहले निविदाकर्ता द्वारा निविदा वापस लेने की स्थिति में संपूर्ण बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

11. किसी भी स्थिति में या किसी भी रूप में मतार्थन की सख्त रूप से मनाही है। मतार्थन करने वाले निविदाकर्ता की निविदा सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी।

12. उद्धृत दरों में इरेज़र और अधिलेखन के कारण निविदा शून्य हो जाएगी। अतः दरों में उपर्युक्त सभी परिवर्तनों को स्याही में पूर्ण हस्ताक्षर करते हुए सुरक्षित करें अन्यथा दरों पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी के पास यह अधिकार है कि वह किसी या सभी निविदाओं को तत्संबंधी कोई कारण बताएं बिना निरस्त कर सकता है। अधोहस्ताक्षरी को जनहित में कोई अन्य शर्त जारी करने का भी अधिकार है। सक्षम प्राधिकारी उच्चतर निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

14. ठेका के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में मामले को इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त एकल विवाचक के पास भेजा जाएगा तथा विवाचक का निर्णय अंतिम होगा एवं दोनों पार्टियों के लिए ही मान्य होगा।

15. इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ठेके की समयावधि समाप्त होने पर विशेष परिस्थितियों में समय-समय पर उन्हीं शर्तों पर ठेके की समयावधि को बढ़ा सके।

(एस0ई0 रिज़वी)
अवर सचिव (दूरसंचार)
दूरभाष 23036300